



# ESSAY

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time allowed: Three Hours

DTVVF/19(JS)-ESY-E3

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

Name: Bhooor Singh meeha

Mobile Number: \_\_\_\_\_

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: AWAKE-19 / F-24

Center & Date: Mukharji Nagar  
Delhi

UPSC Roll No. (If allotted): 3811578

## प्रश्नपत्र संबंधी विशेष अनुदेश

(प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें)

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू. सी. ए.) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिये जाएंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द-संख्या के अनुसार होने चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिये।

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

The ESSAY must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit, as specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

	निबंध विषय संख्या (Essay Topic No.)	अंक (Marks)
खंड-A Section-A		
खंड-B Section-B		
सकल योग (Grand Total)		

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)  
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)  
Reviewer (Signature)

खंड A और B में प्रत्येक से एक विषय चुनकर दो निबंध लिखिये, जो प्रत्येक लगभग 1000–1200 शब्दों का हो: 125 × 2 = 250

Write TWO Essays, choosing ONE from each of the Section A and B, in about 1000–1200 words each: 125 × 2 = 250

### खंड-A / SECTION-A

1. प्रौद्योगिकी वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है।  
Technology is that powerful tool which covers the distance between hope and scope.
2. अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है।  
Farmer's emancipation lies in innovation rather than mercy.
3. भारत के वे अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहेंगे।  
The necessary social changes that you wish to see in India in the next few decades.
4. पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान तलाशती भारतीय विदेश नीति।  
India's foreign policy: Exploring solutions to the problems of the modern world with traditional values.

### खंड-B / SECTION-B

1. सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती अपितु प्रकृति के साथ हमारे सह-अस्तित्व को भी सुनिश्चित करती है।  
The best education is that which not only gives us information, but also ensures our coexistence with nature.
2. राजनीति में आदर्श अपेक्षित भी है और उपेक्षित भी।  
Ideals in politics are required as well as neglected.
3. समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये और असमान के साथ असमान।  
Equals should be treated equally and unequals unequally.
4. उस समाज में स्वतंत्रता अर्थहीन है, जिसमें गलती करने की आजादी न हो।  
Liberty is meaningless in that society where there is no freedom to commit mistakes.

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)



खंड-A / SECTION-A

1. प्रौद्योगिकी वह सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है।  
Technology is that powerful tool which covers the distance between hope and scope.
2. अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है।  
Farmer's emancipation lies in innovation rather than mercy.
3. भारत के वे अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहेंगे।  
The necessary social changes that you wish to see in India in the next few decades.
4. पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान तलाशती भारतीय विदेश नीति।  
India's foreign policy: Exploring solutions to the problems of the modern world with traditional values.

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

"अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है।"

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

उपर्युक्त वाक्यांश भारतीय किसानों की समस्या और उसके समाधान में नवाचार की भूमिका को प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय में भारतीय कृषक गरीब के दौर से गुजर रहा है, कृषि ही उसकी जीविका का कारण बन रही है। उसकी आय सीमित है। कृषि में लागत की अधिकता और उत्पादन में कमी के साथ उत्पादित कृषि उत्पादों के उचित मूल्य में कमी इस समस्या का कारण बना हुआ है। अनेक कारणों के साथ एक प्रमुख कारण है कृषि में नवाचार का अभाव जिसकी वजय से कृषि लाभकारी नहीं हो पा रही है।

नवाचार एक ऐसी पुठाली  
है जिसमें नये तरीके, तकनीकें, विधियाँ का प्रयोग कर किसी भी कार्य को कर सकता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार कृषि की उत्पादन, उत्पादकता एवं इसकी लाभकारी बनाने में सहायक



कृषि में किसानों को लाभ नहीं हो पाता है।

इन उपर्युक्त समस्याओं का समाधान किसी दया से ना होकर इनके समाधान हेतु किये गये उपायों पर निर्भर करता है। इसमें कृषि का नवाचार सबसे प्रमुख समाधान है।

कृषि में नवाचार हेतु किसानों को सर्वप्रथम कुशल, विद्वित एवं दक्ष बनाने पर बल दिया जायेगा। उनकी दक्षता के परिणामस्वरूप उनकी कृषि कर्मों की नई-नई विधियों से अवगत कराया जाये। इस हेतु कृषि में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया। इस कृषि में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाये और कृषि की पद्धतियों को धक्का उनको कम लागत पर अधिक उत्पादन योग्य बनाया जाये।

इस हेतु ~~बिज~~ खाद, बीज रासायनिक उर्वरक आदि में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाये इससे इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी जो उत्पादन को बढ़ायेगी इससे किसानों को लाभ कम होगा और कृषि को लाभकारी बनाया जा सकता है।

कृषकों की वर्तमान समस्या  
कृषि उत्पादों पर उचित कीमत ना  
मिलना। इस हेतु किसानों में नवाचार  
की बढ़ावा दिया जाये तथा वे स्वयं ही  
अपने कृषि उत्पादों को ना केवल  
घरेलू बजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार  
में उपलब्ध कराया जाये। इस हेतु उनको  
तकनीकी दक्षता, खाद्य प्रसंस्करण के  
तरीकों सिखाये जाये तथा उनको स्वयं  
ही कृषि उत्पादों पर ही मूल्य को  
बढ़ाकर लाभ कमाने की प्रेरणा देते।

नवाचार से जिस प्रकार  
सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र लाभकारी  
बने हुए उसी प्रकार कृषकों को भी  
लाभकारी बनाया जा सकता है। यदि  
विश्व के विकसित देशों की कृषि का  
आकलन कर तो पायेंगे कि उनकी कृषि  
में नवाचारी तरीकों से उसकी लाभकारी  
बनाया गया है, जिसके कारण वे वहाँ  
के किसानों की स्थिति सम्पन्न है। उनका  
जीवन स्तर भी उच्च है।

वर्तमान समय में सरकार

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

द्वारा किसानों की आय को दुगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परंतु इनके उचित अनुपालन हेतु इनके नवाचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

~~कृषि~~ किसानों का उद्धार विभिन्न राजनीतिक लाभ हेतु सरकारों द्वारा जारी की गयी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से नहीं होता जैसे ~~सरकार~~ विभिन्न रूप सरकार द्वारा किसानों का किया गया त्रुण भाग। ~~इससे~~ इस प्रकार की दया से उनका विकास नहीं हो सकता। इस दया से उनको केवल अल्पकालीन राहत मिल सकेगी ना कि दीर्घकालीन।

किसानों की स्थिति को सुधारने में नवाचार ही प्रभावी कदम होगा। इसके बढ़ाने हेतु कृषि में शिक्षा प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, कृषि शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस

हेतु हाल ही में भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों, भारतीय कृषि एवं शोध परिषद की व दक्षता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया है जिससे कृषि में नवाचार बढ़ेगा।

भारत जैसे विकासशील देश में कृषि नवाचार को बढ़ा पाया कोई आसान कार्य नहीं होगा। इसके समझ दै कृषि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जैसे - किसानों से अधिवंश संरक्षा अक्षिप्त होना, भूमि से संबंधित आकों की अनुपलब्धता, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में लक्षणी व्यय की कमी, कृषि में निजी निवेश का अभाव, कृषि में तकनीकी एवं मशीनीकरण की सीमित पहुंच, भारत में अनुबंध कृषि एवं सहकारी कृषि पद्धतियों की प्रवृत्ति का कम पाया जाना, कृषि विपणन में नवाचार की कमी इत्यादि।

इन उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न किसान सहायता केंद्र, डी.डी इन्फॉर्मेशन चैनल आदि के माध्यम से किसानों को शिक्षित किया जाये। भारतीय युवाओं में कृषि में रुझान बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा रोजी (RBAOP) जैसी योजनाओं का प्रभावी धियान्वयन, निजी निवेश को प्रोत्साहन हेतु सरकारी प्रयास को बढ़ावा दिया जाये ताकि कृषि में नवाचार को बढ़ावा मिले और इसकी लाभकारी बनाया जाये।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

अतः इस प्रकार भारत जैसे कृषि प्रधान देश जो लगभग 86% कृषि सीमांत एवं लघु है। उसके कृषि जनवाचा किसानों के लिए उद्धार का काम करेगा। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए

परन्तु किसानों के उद्धार हेतु हमें अन्य प्रयासों जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम-किसान योजना, पीएम ~~कृषि~~ आशा योजना, सिंचाई योजना, E-NAM, APMC के साथ साथ किसानों हेतु चलाई जा रही अन्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाये।

इसके साथ ही किसानों की आय को दुगुना करने हेतु सरकार की सफरकूपीय रणनीति का प्रभावी अमल, कृषि के संबंध में जो प्रोत्साहन देकर उनमें भी जनवाचा को बढ़ावा दिया जाये तो किसानों का उद्धार किया जा सकता है। अतः इस प्रकार ~~किसान~~ ~~के~~ सच ही ~~कि~~ ~~है~~ कि -

"किसानों का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि जनवाचा में है!"

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

खंड-B / SECTION-B

1. सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती अपितु प्रकृति के साथ हमारे सह-अस्तित्व को भी सुनिश्चित करती है।  
The best education is that which not only gives us information, but also ensures our coexistence with nature.
2. राजनीति में आदर्श अपेक्षित भी है और उपेक्षित भी।  
Ideals in politics are required as well as neglected.
3. समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये और असमान के साथ असमान।  
Equals should be treated equally and unequals unequally.
4. उस समाज में स्वतंत्रता अर्थहीन है, जिसमें गलती करने की आजादी न हो।  
Liberty is meaningless in that society where there is no freedom to commit mistakes.

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

"समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान"

अनुच्छेद-14(ii) भारतीय संविधान

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

उपर्युक्त वाक्यांश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार की तार्किक अभिव्यक्ति करता है। इसके अंतर्गत विधी के समान संरक्षण की अवधारणा प्रस्तुत होती है। जिसमें समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ व्यवहार की बात कही गयी है; जिसके अंतर्गत जो असमानता की बात की गयी है, यह असमानता तार्किकपूर्व एवं प्राकृतिक न्याय के अनुकूल हो, वैसे ~~निम्न~~ एक छोटी सी कहानी से समझा जा सकता है -

॥ एक पिछड़े हुए गांव में राम और श्याम नाम के दो बचपन के मित्र रहते थे तथा वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसका शिक्षा का स्तर निम्न था। राम के पिता नहीं होने के उसे अपने परिवार की आजीविका भी चलानी पड़ती थी। वही दूसरी ओर उसका मित्र श्याम आगे की पढ़ाई शहर के अच्छे स्कूल में करने गया। राम की शिक्षा बड़ी मुश्किल से हो पाई। इसके बाद दोनों

एक ~~प्रतियोगिता~~ प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, तो राम को बार-बार असफलता का मुँह देखना पड़ा है क्योंकि उसकी शिक्षा का स्तर निम्न है था। इसलिए राम को विशेष सुविधा देकर उसे सफल बनाया गया। जिससे उसका जीवन स्तर सुधरा।"

इस कहानी में राम को दी जाने वाली विशेष सुविधा तार्किकता पूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के अनुकूल थी। क्योंकि समान प्रतियोगिता में शामिल होने उनका ही शिक्षा स्तर अलग-अलग था।

इसी प्रकार महान राजनैतिक विचारक वॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में इसी तार्किकतापूर्ण विभेद पर बल देकर समाज में समानता के साथ-साथ सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती हैं।

इसी संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16(3), 16(4) में शिक्षा एवं ~~आर्थिक~~ सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अनुच्छेद 15(3), 15(4) में बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए किये गये उपबंध

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भी इसी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक लोकतांत्रिक तथा जनकल्याणी जनकल्याणकारी राज्य में यह विभेद न्याय स्थापना के लिए न्यायपूर्ण माना जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय समाज की बात की जाए, तो इसमें एक वर्ग जिसे वर्गों से शिक्षा, समाज की मुख्यधारा एवं विकास सुविधाओं से इंद्र रखा गया है, तो यह वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ होने के कारण समाज की मुख्य धारा में जुड़ने हेतु स्वयं का असहम पाता है।

इसी उद्देश्य हेतु भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अंतर्गत इस तार्किकपूर्व विभेद का प्राकृतिक न्याय के अनुकूल मानते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में राज्य की इस तार्किकपूर्व विभेद के लिए अनुमति दी गई और इसे प्राकृतिक न्याय के अनुकूल माना गया।

इसी प्रकार महिलाओं की भी विशेष सुविधाएँ दी गईं। भारत के

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)



drishti



स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उनकी आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वे भी अपने न्याय का विकास करने में सक्षम हो और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

इस तार्किकतापूर्ण विमर्श के बारे में एक विद्वान ने कहा

"कभी-कभी न्याय की स्थापना के लिए अन्याय का सहारा लेना पड़ता है।"

अर्थात् न्याय स्थापना के लिए हमें इस तरह का भेदभाव करना पड़ता है और इसी भेदभाव की अभिव्यक्ति उन्होंने अन्याय के रूप में की है। प्रत्युत इस अन्याय को भी न्यायिक माना जा सकता है।

वर्तमान समय में इसी प्रकार का व्यवहार भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत बड़ी कम्पनियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस युग में छोटी, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उनकी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

कुछ विशेष सुविधाएँ जैसे सलिसिडी, कम  
त्रयण पर व्याज, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा  
हेतु कर में छूट इत्यादि। इस प्रकार  
इनको दी जाने वाली विशेष ~~सुविधा~~ प्रोत्साहन  
सुविधा की इसी अवधारणा को पुस्तक कूटी  
है परन्तु यह आर्थिक विकास के लिए  
न्यायपूर्ण है।

इसी प्रकार विश्व स्तर पर  
वर्तमान पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी मुद्दों  
के पर इनके समाधान की जिम्मेदारी  
हेतु विकसित एवं विकासशील देशों में  
किया गया विभेद असमान के साथ  
असमान व्यवहार की ~~प्रतिबिम्ब~~ प्रतिबिम्ब  
करता है, जैसा कि बमोरो प्रोटोकॉल -  
1997 तथा पेरिस सम्मेलन में इनकी  
कार्बन के उत्सर्जन को कम करने हेतु  
दी गई विशेष जिम्मेदारी। जिससे जलवायु  
परिवर्तन की समस्या पर निजात पाया  
जाये।

इस प्रकार जनकल्याणकारी राज्य  
का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को  
विकास करना होता है। परन्तु समाज  
का गरीब एवं पिछड़ा वर्ग इस विकास  
की दौड़ में स्वयं को शामिल करने

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

मे स्वयं का असक्षम पाता है, इसीलिए  
~~जनकल्याणकारी~~ जनकल्याणकारी राज्य द्वारा  
 उनकी वसी असक्षमता को दूर करने  
 हेतु उनकी विशेष सुविधाएँ उपलब्ध  
 कराई जाती हैं। उनकी उपलब्ध कराई  
 यह विशेष सुविधा सामाजिक न्याय  
 के अनुकूल तार्किक भेदभाव पर आधारित  
 हैं।

भारत के संदर्भ में इस  
 विभेदकारी न्याय को स्थापित करने  
 हेतु कई चुनौतियाँ का सामना करना  
 पड़ता। इसके अन्तर्गत असमान के  
 साथ किया गया असमान व्यवहार कभी  
 कभी विशेष का काल बन जाता  
 है तथा इसकी राजनीति मुद्दा बनाकर  
 उसके व्यावहारिक रूप में बाधा उत्पन्न  
 की जाती है, जो प्राकृतिक न्याय की  
 आवश्यकता के अनुकूल हैं।

हाल ही कई राज्यों ने बह  
 रही आरक्षण की मांग इसी का उदाहरण  
 है। गरीब दलित और जो वर्ग इसमें  
 सहित हो गया है कि उसको विशेष  
 सुविधा की कोई जरूरत नहीं

उम्मीदवार को इस  
 हाशिये में नहीं लिखना  
 चाहिये।

(Candidate must not  
 write on this margin)

हैं, वह भी ~~की~~ इसका लाभ उठा रहा है। इससे इस विभेद में पक्षता तार्किकता, विवेकशीलता और न्याय की अवधारणा का अभाव दिखाई पड़ता है।

इस हेतु किसी क्षेत्र चाहे राजनैतिक, आर्थिक हो या सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार की तार्किक बनाकर प्रासंगिक न्याय की स्थापना पर बल दिया ताकि लोकतांत्रिक एवं जनकल्याणकारी राज्य का लक्ष्य पूरा हो सके।

भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान लागू करते समय कहा

" हम इस संविधान को लागू कर सकें ऐसे समाज में पूर्वीय कर रहे हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से भरा हुआ। इसलिए ऐसे समाज में जब तक राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती तब तक की सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जाये। "

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिखना  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)

इसीलिए इस विषय को  
इस करने हेतु हमें विभेदपूर्ण न्याय  
की अवधारणा का अनुसरण करना होगा  
जिसमें कमजोर को ज्यादा जोत्साहन  
देकर उसे भी समाज की मुख्य धारा  
से जोड़ा जाए।

अगर निष्कर्षित कहा जाता है कि  
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14(1) के  
अपेक्षा में यह अवधारणा ही वर्तमान  
प्रौद्योगिकी, आधुनिक तथा मशीनयुग में  
समाज के पिछड़े वर्ग को साथ लाने  
में सहायक सिद्ध हो सकता है। यद्यपि  
पिछले सात दशक में यह अवधारणा  
काफी हद तक सफल रही और भारतीय  
समाज की प्रकृति बदलने में सहायक रही  
परन्तु इस तार्किक पूर्व विवेचन को  
राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर इसे समाज  
के विकास, प्राकृतिक न्याय के अनुकूल  
बनाया जाए तो समाज की गतिशीलता  
की बढ़ावा मिल सकता है।

उम्मीदवार को इस  
हाशिये में नहीं लिख  
चाहिये।

(Candidate must not  
write on this margin)